न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
ए0बी0पी0– 456 / 2026
(नगरनौसा थाना कांड संख्या– 46 / 2007)

रमेश पासवान उर्फ रमेश कुमार बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
10.06.2026	आवेदकगण 1. रमेश पासवान उर्फ रमेश कुमार 2. सुनील पासवान की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 341, 323, 504, 379 / 34 भा0 द0 वि0 के तहत नगरनौसा थाना कांड संख्या– 46 / 2007 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थीगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं जिसमें अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और आवेदकगण एवं सह–अभियुक्त को भगोड़ा (फ़रार) घोषित किया जा चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है। इससे पहले प्रार्थीगण की ओर से न तो सत्र न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में परिवाद सं0– 511सी / 2001, धारा– 498 भा0 द0 वि0 लंबित है इसके अलावा प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण गरीब हैं और पिछले 30 साल से रमेश पासवान रोज़ी–रोटी के ख़ातिर दिल्ली में रह रहे हैं तथा पिछले चार महीने से सुनील पासवान बिहारशरीफ में रह रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है जिसके कारण झूठा केस किया गया है। प्राथमिकी एवं काण्ड दैनिकी के अनुसार प्रार्थीगण पर चोरी का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि ओमनीबस आरोप है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि चन्द्रमणी कुमार दिनांक 26.11.2007, समय करीब 4 बजे शाम को अपने घर लक्षु विगहा से नगर नौसा बाजार आ रहे थे कि उसमान पुल के पास 1. वासदेव पासवान 2. सुनिल पासवान 3. रमेश पासवान पूर्व से घात लगाकर बैठे थे और सुचक की मोटरसाईकिल को लाठी के बल पर रूकवा दिया और तीनों मिलकर लाठी–डंडा एवं रड से मारपीट करने लगे। वासुदेव, सुनील सुचक के छाती पर चढ़कर लाठी गर्दन पर रख कर जान मारने की नियत से गला दबा रहे थे इसी बीच रोड पर आने जाने वाले एवं सुचक के गाँव के लोग पहुँच गए तो वे सभी लोग सुचक के पॉकेट से करीब 3,000 रू0 लेकर भाग गए। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि इस वाद में प्रार्थियों के विरूद्ध पूर्व में इश्तेहार और कुर्की ज़ब्ती की जा	

लगातार...

चुकी है तथा दोनों प्रार्थी दिनांक 27.10.2010 के आदेश से फरार घोषित हैं।

अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	10.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	11.06.2026
Uploaded by	M.D GUFRAN (STENOGRAPHER)